इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 जनवरी 2022—पौष 21, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2022

क्र. एफ ए 3-20-2021-1-पांच (03).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 11-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''नियम 11-क.—रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन का इलेक्ट्रानिक रीति में फाइल किया जाना.—

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी व्यापारी द्वारा, धारा-17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्ररूप 6 में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, हार्ड कॉपी के साथ या उसके बिना यथास्थिति, डिजिटल हस्ताक्षर से या उसके विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.mp.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा. इस नियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र फाइल करने के लिए आवेदन केवल इलेक्ट्रॉनिक रीति से किया जाना आज्ञापक होगा. नियम-11, के उपबंध [नियम 11 के उप-नियम (1) के खण्ड (पांच) को छोड़कर] यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे आवेदन को लागू होंगे.''.

(2) नियम 11-क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''नियम 11-कक. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन का स्वीकृत समझा जाना.—

जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन नियम 11-क के अधीन प्रस्तुत किया जाता है और आयुक्त में या तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया है या धारा 17 की उप-धारा (4-क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन नामंजूर नहीं किया है, वहां रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रदत्त किया गया समझा जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इस नियम के अधीन प्रदत्त किया गया समझा जाएगा या नियम 12 के अधीन प्रदत्त किया जाएगा, यथास्थिति, आयुक्त के डिजिटल हस्ताक्षर से या उसके बिना विभाग अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से सिस्टम पर जनरेट किया जाएगा और आवेदक की ओर से डाउनलोड योग्य होगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2022

क्र. एफ ए 3-20-2021-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2021-1-पांच (03), दिनांक 11 जनवरी, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 11th January 2022

No. F A 3-20-2021-1-V(03).—In exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2002, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. for rule 11-A, the following rule shall be substituted, namely:—

"11-A. **Electronic filing of application for grant of registration certificate.**—

The State Government may, by notification, provide that an application for grant of registration certificate under section 17 shall be furnished by a dealer specified in the said notification electronically in Form-6, with or without digital signature, as the case may be, through the official web portal of the department (www.mptax.mp.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal. It shall be mandatory to file application for certificate of registration electronically only after the notification under this rule is issued. The provisions of rule 11, [except clause (v) of sub-rule (1) of rule 11] shall *mutatis mutandis* apply to such application.".

2. After rule 11-A, the following rule shall be substituted, namely:—

"11-AA. **Deemed approval of application for certificate of registration.**—

Where an application for grant of registration certificate is furnished under rule 11-A and the Commissioner either has not granted the certificate of registration or has not rejected the application for registration within the time specified in sub-section (4-A) of Section 17, the application for registration shall be deemed approved and the certificate of registration shall be deemed granted by the Commissioner. The certificate of registration, deemed granted under this rule or granted under rule 12, as the case may be, shall be system generated through the official web portal of the department with or without digital signature of the Commissioner and shall be downloadable at the applicant's end.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.